कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand

E-mail:eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 3033 /7सी0 दिनांक20 – दिसम्बर 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषयः **जनपद अल्मोड़ा में पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.025 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के संबंध में (प्रस्ताव सं0 11763/2015)।**

संदर्भः **भारत सरकार का पत्रांक 08बी0/यू0सी0पी0/06/171/2016/एफ0सी0/581 दिनॉक 23.08.2021 एवं आपका कार्यालय ई0डी0एस0 07 अक्टूबर 2021**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सूचित की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत है:–

आपत्ति	निराकरण
1. प्रस्ताव में दो गॉवों को लाभान्वित होना बतलाया गया है जिसकी जनसंख्या 319 है, किन्तु आनलाईन पोर्टल पर अपलोडेड के0एम0एल0 फाईल में गांवों की स्थिति अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि डिजिटल मानचित्र पर alignment में अंकित बिन्दु 16 एवं 29 पर गॉव जुड़ जा रहा है फिर भी प्रस्तावित मार्ग को अनावश्यक रूप से बिन्दु 46 तक बढाया गया है। अतः राज्य सरकार उचित स्पष्टीकरण एवं आवश्यक संशोधन कर प्रस्ताव प्रेषित करने का कष्ट करें।	आनलाईन पोर्टल पर अपलोडेड के0एम0एल0 फाईल में ग्रामों की स्थिति अंकित कर ली गयी है एवं प्रस्तावित मोटर मार्ग पोखरी मेरगॉव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर मोटर मार्ग के नाम से स्वीकृत है। यह मार्ग उन्युड़ा, धौणा, गुठोली को जोड़ते हुये पौराणिक मन्दिर शिव मन्दिर कपिलेश्वर के निकट समाप्त होता है। यह स्थान निकटवर्ती ग्रामवासियों का आस्था को केन्द्र है एवं इसी स्थान पर श्मसान घाट भी स्थित है। धार्मिक आस्था का केन्द्र होने के कारण यह मार्ग बनाया जाना अतिआवश्यकी है।
2. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया Cost benefit analysis सभी बिन्दुओं का आंकलन/गणना प्रस्तुत नहीं करता है। इसके अतिरिक्त नई guideline के अनुसार prescribed format में C/B analysis प्रेषित करने का कष्ट करें।	Cost benefit analysis ऑनलाईन पोर्टल में पार्ट। के जी0 सैक्शन में अपलोड कर लिया गया है।
3. राज्य सरकार द्वारा दिया गया enumeration 9 मीटर चौड़ाई पर प्रस्तुत किया गया है जो कि 7 मी0 चौड़ाई पर दिया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त online portal पर राज्य सरकार द्वारा 0–30 girth class को अंकित नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह online part II के para 4 पर saplings को भी अंकित करने का कष्ट करें।	मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मी0 चौड़ाई में करा ली गयी है। ऑनलाईन पोर्टल में पार्ट। के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं0 54 पर सूची अपलोड कर ली गयी है। शेष सूचनायें अपने स्तर से अपलोड करने की कृपा करें।
4. प्रकरण में अत्यधिक संख्या में वृक्षों का पातन प्रस्तावित है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह तीन वैकल्पिक समरेखणों का परीक्षण कर उनसे संबंधित समस्त विवरण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। साथ ही उपलब्ध रोड नेटवर्क को भी के0एम0एल0 फाईल पर दर्शाने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग के अतिरिक्त तीन अन्य वैकल्पिक समरेखणों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया जो निम्नवत है:–

	वैकल्पिक संरेखण सं01	वैकल्पिक संरेखण सं02	वैकल्पिक संरेखण सं03
वृक्ष	1085	1205	1136
वन भूमि का क्षे0	7.225	7.502	7.900
तकनीकी पहलू	उपयुक्त नहीं	उपयुक्त नहीं	उपयुक्त नहीं

क्रमशः पृष्ठ..........2

पूर्व में FRA certificate पर क्षेत्रफल के correction के बाबत लेख किया गया था, जिसके जबाब में राज्य सरकार द्वारा area correction तो किया गया परन्तु उसे verify नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार FRA certificate में corrected क्षेत्रफल को verify कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	FRA certificate पर क्षेत्रफल को verify कर लिया गया है।
6. राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय के ई0डी0एस0 का उत्तर तय सीमा के बाद दिया गया है। अतः राज्य सरकार तय सीमा के बाद दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी के पैरा 1-20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि समय से उपलब्ध न हो पाने कारण ई0डी0एस0 का प्रत्यूत्तर समय से दिया जाना सम्भव नहीं हो पाया। अवनत आरक्षित भूमि प्राप्त होने के उपरान्त ई0डी0एस0 का प्रत्यूत्तर प्रेषित किया गया। प्रस्तावित मार्ग के कार्यक्षेत्र, उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मार्गदर्शी के पैरा 1-20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

18.12.14

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

पत्रांक 3033 /7सी0 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि— सहायक अभियन्ता(चतुर्थ), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोड़ा में पोखरी मेरगॉव से कपिलेश्वर तक मोटर मार्ग लम्बाई 10.00 कि0मी0

प्रस्ताव पुर्नर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

उपरोक्त विषयक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव दिनॉक 21.04.2015 को ऑनलाईन किये गये थे। वन भूमि हस्तान्रण प्रस्ताव समय समय से आपत्तियों में प्राप्त हुये जिनका समयानुसार निराकरण किया जाता रहा है। प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल के माध्यम से दिनॉक 28.10.2017 को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव कई बिन्दुओं पर आपत्तियों में प्राप्त हुआ। जिसमें से एक बिन्दु में क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि से सम्बन्धित था चूँकि जनपद अल्मोड़ा में लैण्ड बैंक के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि कम क्षेत्रफल में ही अवशेष रह गया है। जिसके कारण भूमि की उपलब्धता समय से उपलब्ध न हो पाने के कारण आपत्तियों का निराकरण करने में विलम्ब हुआ है। तद्उपरान्त प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु अवनत आरक्षित भूमि प्रस्तावित की गयी। प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण एवं अन्य पपत्र तैयार करने के उपरान्त ही आपत्तियों का निराकरण किया जाना संभव हो पाया है। उसके उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगी आपत्तियों का समय से निराकरण किया जाता रहा है।

अतः उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पुनर्जीवित किये जाने हेतु पुनः प्रस्तुत किये जा रहे है।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा में पोखरी मेरगॉव से कपिलेश्वर तक मोटर मार्ग लम्बाई 10.00 कि0मी0

प्रस्ताव पुर्नर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मोटर मार्ग के कार्यक्षेत्र, उददेश्य व अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

परियोजना का नामः— जनपद अल्मोड़ा में पोखरी मेरगॉव से कपिलेश्वर तक मोटर मार्ग लम्बाई 10.00 कि0मी0

प्रस्ताव पुर्नर्जीवित करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु चाही गयी वांछित सूचनायें ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड कर ली गयी हैं।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।